तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1875/2004/हनुमानगढ दिनेशकुमार वगैहरा बनाम सरकार वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित
श्री मनीष पाण्ड्या, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री जमील जई, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8
श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 07–03–2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने विपक्षी संख्या 1/प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में मूल वाद पत्र केवल काश्तकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में वादी विभाग काश्तकार की श्रेणी में आहूत नहीं होता है। आगे बताया कि मूल वाद के तहत वादीगण ने जो अनुतोष चाहा है, वह वादीगण को प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। मामले में वादीगण द्वारा चाहा अनुतोष केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही देय है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1875/2004/हनुमानगढ दिनेशकुमार वगैहरा बनाम सरकार वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उन्होंने तर्क दिया कि प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण अपने वाद को साक्ष्यों से प्रमाणित करने में असफल रहे है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–04–2004 को निरस्त कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर वादी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मूल वाद को खारिज किए जाने का निवेदन किया। योग्य उपराजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार द्वारा विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही होगा। उनका कथन है कि घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के माध्यम से प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका तर्क है कि विभाग प्रश्नगत आराजी का काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण को तबादले में भूमि देकर प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपने नाम दर्ज करा रखा है, जिसे दुरूस्त करवाने का वादीगण को अधिकार प्राप्त है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1875/2004/हनुमानगढ दिनेशकुमार वगैहरा बनाम सरकार वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि से संबंधित दावे पर ही विचारण किया जा सकता है। उनका तर्क है कि वादीगण का दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में जरिये वाद वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसे प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त स्थिति में मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने आक्षेपित आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं मूल वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी/अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के साक्ष्य के स्तर पर लम्बित रहते विपक्षी संख्या 2/ प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर विपक्षी संख्या 2/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आक्षेपित आदेश से निरस्त कर दिया। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1875/2004/हनुमानगढ दिनेशकुमार वगैहरा बनाम सरकार वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल वाद में तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दु निहित है, जिसका निर्धारण उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त ही होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि मूल वाद के प्राथमिक स्तर की कार्यवाही में प्रतिवादीगण द्वारा लिए गए आक्षेप के क्रम में एक अतिरिक्त तनकी कायम कर उसका विधिनुसार निस्तारण किया जाना समीचीन है। तदनुसार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-04-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1875/2004/हनुमानगढ दिनेशकुमार वगैहरा बनाम सरकार वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए